प्रेस नोट दिनांक 21.10.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा व थाना नौगढ़ पुलिस टीम की सयुंक्त कार्यवाही में जंगल के रास्ते वध हेतु बिहार ले जा रहे 19 राशि गोवंश बरामद करते हुए 04 गोतस्कर किये गये गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा गौतस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में दिनांक 20.10.2024 को रात्रि 21.10 बजे थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह तथा थानाध्यक्ष नौगढ कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मझगांई जंगल के रास्ते वध हेतु बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के लिए ले जाते समय 19 राशि गोवंश को बरामद करते हुए 04 शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि जनपद सोनभद्र के देहात क्षेत्रों से सस्ते दामो पर गौवंशो को खरीदकर एकत्रित कर जंगल के रास्ते मझंगाई, जमसोत व बिहार होते पश्चिम बंगाल ले जाकर ऊंचे दामो मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.राजेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम मझगाई थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 34 वर्ष

2. बसन्तू वियार पुत्र डंगर वियार निवासी ग्राम लालतापुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष

3. करन कुमार पुत्र शिवबरत राम निवासी ग्राम लालतापुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 32 वर्ष

4. सवरू यादव पुत्र लालता यादव निवासी ग्राम जमसोत थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 50 वर्ष

अभियुक्त राजेश यादव का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 63/2024 धारा 132,221,324(2), 352 बीएनस व 26 वन अधि0 थाना चकरघट्टा चन्दौली

2.मु0अ0सं0 12/2021 धारा 380,411457 भादवि थाना नौगढ चन्दौली

3.मु0अ0सं0 38/2017 धारा 307,332,353,504,506 भादवि,व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति अधि0 थाना नौगढ चन्दौली

बरामदगी का विवरण- 19 राशि गौवंश (7 राशि बैल व 12 राशि गाय)

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 20.10.2024 समय 21.10 बजे स्थान मंझगाई जंगल

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली

2.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ चन्दौली

3.हे0का0 संजय शाहू थाना चकरघट्टा चन्दौली

4.का0 आनन्द कुमार मौर्य थाना चकरघट्टा चन्दौली

4.हे0का0 आशुतोष कुमार थाना नौगढ चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01पिकअप में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 03 राशि गोवंश (02 गाय व 01 बछड़ा) बरामद करते हुए दो शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 20.10.2024 को समय करीब 14.30 बजे सिंधीताली ओवर ब्रीज एनएच-19 से सघन वाहन चेकिंग दौरान 01 पिकअप को लोकेशन दे रहे टीवीएस आपाचे वाहन सं. UP 67AC 3716 तथा टाटा इन्द्रा पिकप वाहन सं. UP 67BT 2157 जिसमें कुल 03 राशि गोवंश (02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) जिन्दा अवस्था में (जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ था) पाये गये साथ में ही 02 शातिर पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 278/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पिकअप में लदे गोवंशों को कछवां मिर्जापुर से लादा गया था और वध हेतु बिहार भिजवाया जा रहा था। और अपाचे वाहन पर जो व्यक्ति बैठा है यह पिकअप वाहन का वाहन स्वामी है जो कि हमे आगे का लोकेशन दे रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-छोटू उर्फ राहुल कुमार पुत्र रामभजन पासवान नि.औरैया थाना सैयदराजा जिला चन्दौली।

2-गणेश पासवान पुत्र रामचेला पासवान नि. ग्राम गायघाट सुदाव थाना सैयदराजा जिला चन्दौली।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 278/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

टीवीएस आपाचे वाहन सं. UP 67AC 3716

टाटा इन्द्रा पिकप वाहन सं. UP 67BT 2157

03 राशि गोवंश (02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) जिन्दा अवस्था

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

जनपद चन्दौली

◆जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 173 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.10.2024 समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 173 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।